भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 652
24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय- प्रमुख कृषि उपजों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
652 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान लू, बेमौसम बारिश, सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के कारण धान, गेहूं, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना और बागवानी उपज सहित प्रमुख कृषि फसलों को हुए अनुमानित फसल के नुकसान का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इसी अवधि के दौरान ऐसी जलवायु-संबंधी घटनाओं से प्रभावित कुल क्षेत्र का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य राहत तंत्रों के तहत प्रभावित किसानों को दिए गए मुआवजे का राज्यवार / संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या मंत्रालय ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर चरम मौसम की घटनाओं की बदलती आवृत्ति और प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के चलते जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन और एनडीआरएफ से सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुई/दावा की गई हानियों के मुआवजे के लिए।

राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, पिछले पांच वर्षों के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण प्रभावित कृषि क्षेत्र का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों में प्रमुख फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया हैः

फसलों के नाम	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
धान	1243.68	1294.71	1357.55	1378.25	1501.84
गेहूँ	1095.86	1077.42	1105.54	1132.92	1179.45
दलहन	254.63	273.02	260.58	242.46	256.83
तिलहन	359.46	379.63	413.55	396.69	429.89
कपास	352.48	311.18	336.60	325.22	297.24
गन्ना	4053.99	4394.25	4905.33	4531.58	4546.11
बागवानी फसलें	3346.02	3471.79	3554.82	3547.43	3707.37

पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को प्रदान किये गए दावों का विवरण अनुबंध-II में संलग्न है। राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in. पर उपलब्ध है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना का लागू कर रही है, जो कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है, भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जिला स्तरीय जोखिम और भेद्यता आकलन का संचालन करती है और जलवायु परिवर्तन के भविष्य के अनुमानों का आकलन करने के लिए एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग का अध्ययन करती है। इस परियोजना के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार, 651 प्रमुख कृषि प्रधान जिलों में जिला स्तर पर कृषि जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 109 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' और 201 जिलों को 'अति संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। इन 651 जिलों के लिए मौसम संबंधी अनियमितताओं से निपटने और स्थान-विशिष्ट जलवायु प्रतिरोधी फसलों और किस्मों तथा प्रबंधन पद्धतियों की अनुशंसा करने के लिए जिला कृषि आकस्मिक

योजनाएं (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति अनुकूल के लिए, धान सघनता प्रणाली (एसआरआई), वायुजनित धान, सीधी बुवाई वाला धान, शून्य जुताई वाली गेहूं, जलवायु-प्रतिरोधी फसल की किस्में और फसल अवशेषों के स्थानीय प्रबंधन जैसी स्थान-विशिष्ट जलवायु-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का किसानों द्वारा उपयोग हेतु प्रदर्शन किया जा रहा है। एनआईसीआरए के अंतर्गत, 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 151 संवेदनशील जिलों में स्थित 448 जलवायु-प्रतिरोधी गांवों में जलवायु-प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय बीज बैंकों और सामुदायिक नर्सरियों द्वारा इन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियों (वीसीआरएमसी) के माध्यम से जलवायु-प्रतिरोधी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जबकि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के अंतर्गत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एनआईसीआरए के कई गांवों में धान, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार साघर्म, चना और बाजरा की सूखा और बाढ़ सहिष्णु जलवायु-प्रतिरोधी किस्मों का प्रदर्शन किया जा चुका है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं।

अनुबंध I

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रिपोर्ट किए गए फसल क्षेत्र का विवरण।

(प्रभावित फसल क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	2.38	0.07	1.30	0.11	1.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.001	0.00	-	0.017
3.	असम	0.1	1.15	0.59	1.38	0.42
4.	बिहार	7.06	0.37	-	-	-
5.	छत्तीसगढ	-	0.005	-	-	0.006
6.	गोवा	0.001	-	-	-	-
7.	गुजरात	1.49	0.83	1.33	-	-
8.	हरियाणआ	-	-	2.16	-	4.32
9.	हिमाचल प्रदेश	0.06	0.08	0.76	-	0.32
10.	झारखंड	-	-	-	-	0.0017
11।	कर्नाटक	11.35	9.95	0.30	2.86	14.81
12.	केरल	0.85	-	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	1.06	-	-	-	-
14.	महाराष्ट्र	2.41	-	-	-	75.42
15.	मणिपुर	-	-	-	0.01	0.039
16.	मेघालय	-	0.12	-	0.01	0.065
17.	मिजोरम	-	-	-	0.21	-
18.	नगालैंड	0.17	-	-	0.03	0.007
19.	ओडिशा	1.82	1.36	0.16	0.22	0.30
20.	पंजाब	0.04	0.83	1.66	-	1.93
21.	राजस्थान	6.47	-	-	-	-
22.	सिक्किम	0.02	0.002	-	-	0.81
23.	तमिलनाडु	0.83	1.53	0.36	2.92	0.30
24.	तेलंगाना	-	-	0.61	-	-
25.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
26.	उत्तर प्रदेश	3.61	2.13	-	3.95	2.22
27.	उत्तराखंड	0.54	-	0.09	0.05	0.007
28.	पश्चिम बंगाल	3.48	-	-	1.38	-

29.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-
30.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
31.	दादर और नगर हवेली	0.00005	-	-	-	-
32.	दिल्ली	-	-	-	-	-
33.	लद्दाख	-	-	-	0.02	0.78
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
35.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-
36.	पुदुचेरी	0.04	-	0.07	0.05	0.001
	कुल	**43.801**	**18.416**	**9.39**	**13.11**	**103.284**

अनुबंध- II

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीआईसीएस: वर्ष 2021-22 से 2025-26 दिनांक 30.06.2026 तक राज्यवार दावों की रिपोर्ट।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किये गए आवेदन	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किये गए	भुगतान किए गए आवेदन दावे	भुगतान किये गए आवेदन	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किये गए आवेदन	भुगतान किए गए दावे	भुगतान किये गए आवेदन
	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)	(करोड़ रुपये में)	(लाख में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	0.02	0.001	0.03	0.0004	-	-
आंध्र प्रदेश	-	-	613.89	7.91	197.46	10.69	164.37	9.85	0.99	0.02
असम	256.42	2.89	21.15	0.26	64.67	1.07	95.63	1.45	29.60	0.34
छत्तीसगढ	1,432.02	27.30	534.31	15.31	593.37	15.00	271.70	6.70	211.08	4.85
गोवा	-	-	0.001	0.0001	0.0001	0.00002	0.01	0.001	0.003	0.0004

हरियाणा	1,650.97	6.44	2,529.44	7.51	284.60	25.85	385.52	25.58	918.21	48.74
हिमाचल प्रदेश	77.79	1.16	68.15	1.39	147.61	1.33	85.70	0.67	0.06	0.003
जम्मू और कश्मीर	52.72	0.34	6.34	0.17	35.16	0.70	26.56	0.94	51.61	0.96
झारखंड	-	-	-	-	-	-	19.39	0.32	-	-
कर्नाटक	1,547.02	12.03	2,389.38	18.68	3,374.46	23.72	3,164.51	20.54	1,104.38	11.04
केरल	102.21	0.90	182.60	1.32	174.81	1.27	4.28	0.06	0.29	0.004
मध्य प्रदेश	2,811.56	42.86	1,051.81	36.64	967.99	39.05	1,302.86	43.88	239.95	3.89
महाराष्ट्र	4,709.15	66.52	5,446.92	75.47	9,607.55	132.08	6,217.98	86.33	1,556.52	15.32
मणिपुर	1.45	0.02	1.64	0.03	2.00	0.04	1.68	0.03	-	-
मेघालय	-	-	0.01	0.001	14.51	0.14	9.52	0.19	14.42	0.23
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	1,043.63	29.71	583.67	17.70	234.75	11.32	181.26	10.18	3.53	0.04
पुदुचेरी	2.95	0.12	3.75	0.07	4.26	0.11	10.04	0.27	0.02	0.001
राजस्थान	5,011.50	118.82	4,496.49	115.90	4,327.51	96.91	2,235.72	53.99	2,117.95	55.99

सिक्किम	-	-	-	-	0.30	0.01	0.01	0.0004	0.01	0.001
तमिलनाडु	817.24	22.73	921.51	19.38	762.90	16.98	856.59	22.93	237.26	6.78
त्रिपुरा	2.64	0.44	2.08	0.20	1.95	0.10	0.52	0.07	0.01	0.0003
उतार प्रदेश।	930.76	10.37	987.31	12.36	475.98	11.52	435.14	18.40	842.48	41.09
उत्तराखंड	122.30	1.16	207.76	1.99	348.17	1.74	358.59	1.80	60.78	1.25
कुल	**20,572.34**	**343.79**	**20,048.23**	**332.31**	**21,620.04**	**389.64**	**15,827.60**	**304.17**	**7,389.14**	**190.53**

*****